लोक शिक्षण संचालनालय

गौतम नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश

क्रमांक / आई.टी.सेल / टेबलेट क्रय / 261 / 2023 / 1131 भोपाल, दिनांक - 26-07-23

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

महत्वपूर्ण
समय सीमा

विषयः– शिक्षकों के द्वारा क्रय किये गये टेबलेट का भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन के संबंध में।

संदर्भः– क्रमांक / रा.शि.के. / आई.सी.टी. / 2022–23 / 1164, दिनांक 24.02.2023
क्रमांक / रा.शि.के. / आई.सी.टी. / 2022–23 / 1356, दिनांक 09.03.2023
क्रमांक / आई.टी.सेल / टेबलेट क्रय / 261 / 2023 / 1073–1074, दिनांक 21.06.2023
क्रमांक / आई.टी.सेल / टेबलेट क्रय / 261 / 2023 / 1114, दिनांक 11.07.2023

---000---

संचालनालय के संदर्भित पत्र दिनांक 21.06.2023 एवं दिनांक 11.07.2023 के द्वारा व्याख्याता / उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च श्रेणी शिक्षक / माध्यमिक शिक्षक के द्वारा टेबलेट क्रय करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। पोर्टल से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार शिक्षकों के पंजीकरण उपरांत क्रय की संख्या अत्यंत कम है। जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालयवार समीक्षा करें एवं शिक्षकों के द्वारा दिनांक 31.07.2023 तक क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण की कराएं।

2. एम–शिक्षा मित्र एप पर उपलब्ध **"टेब प्रतिपूर्ति मॉड्यूल"** में रजिस्ट्रेशन तथा क्रय की कार्यवाही के उपरांत **टेबलेट के भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन** हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

2.1 राज्य शिक्षा केन्द्र के संदर्भित निर्देश दिनांक 24.02.2023 के बिन्दु कमांक 4 में उल्लेखित समिति के द्वारा भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

2.2 किसी विकासखण्ड में एम.आई.एस. कोऑर्डिनेटर अथवा विकासखण्ड ई–गवर्नेस प्रबंधक पदस्थ नहीं होने की स्थिति में राज्य शिक्षा केन्द्र के संदर्भित पत्र दिनांक 09.03.2023 के अनुसार कार्यवाही करें।

2.3 शिक्षक द्वारा क्रय किया गया टेबलेट मापदंडों के अनुसार होने की स्थिति में टेबलेट देयक के अनुसार वास्तविक राशि अथवा अधिकतम राशि रूपये 10,000 / – जो भी न्यूनतम हो उसका भुगतान शिक्षक के खाते में किया जायेगा।

2.4 शिक्षक द्वारा क्रय किये गये टेबलेट की राशि तथा शिक्षक के बैंक खाते का विवरण सही–सही अंकित किया जाये, जिससे संबंधित शिक्षक के खाते में राशि अंतरित हो सके एवं ट्रांजेक्शन फेल होने की स्थिति निर्मित न हो।

2.5 राज्य शिक्षा केन्द्र के संदर्भित निर्देशों की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। विकासखण्ड स्तर पर **तकनीकी सत्यापन का कार्य विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से** संदर्भित निर्देश दिनांक 24.02.2023 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण किया जाए।

2.6 विकासखंड शिक्षा अधिकारी विकासखंड के समस्त हाई / हायर सेकेंडरी विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा क्रय किये गये टेबलेट के सत्यापन हेतु विद्यालयों को संकुलवार तैयार की गई समय–सारणी के अनुसार बिन्दु क्र. 2.1 में उल्लेखित कार्यवाही दिनांक 01–05 अगस्त तक पूर्ण कराएं।

जिला शिक्षा अधिकारी उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे 05 अगस्त'23 तक सत्यापन संबंधी कार्य पूर्ण होने के पश्चात संबंधित शिक्षकों के खाते में राशि अंतरित की जा सके।

संलग्न– राज्य शिक्षा केन्द्र के संदर्भित निर्देश।

(धनराजू एस.) 26/07/2023
आयुक्त
लोक शिक्षण, म0प्र0

पृ.क्र. / आई.टी.सेल / टेबलेट क्रय / 261 / 2023 / 1132 भोपाल, दिनांक - 26-07-2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी. की ओर सूचनार्थ।
4. श्री विनय पाण्डेय, उप संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी. की ओर प्रेषित कर लेख है कि पोर्टल में प्राथमिक शिक्षकों के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने का कृष्ट करें।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.।
6. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी निर्देशों के अनुसार सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कराएं।
8. विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक प्राथमिक शिक्षकों के लिए की गई कार्यवाही अनुसार हाई / हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. समस्त प्राचार्य हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

26/07/2023

आयुक्त
लोक शिक्षण, म0प्र0

शिक्षा का अधिकार

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/आई.सी.टी./2022-23/1164 भोपाल, दिनांक 24.02.2023

प्रति,

कलेक्टर
जिला - समस्त जिले
म.प्र.

विषय: टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत क्रय टेबलेट के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में

सन्दर्भ: 1) राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्र./राशिके/आईसीटी/2022/46, भोपाल दिनांक 04-01-2023

2) राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्र./राशिके/आईसीटी/2022/6554, भोपाल दिनांक 23-11-2022

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहे, समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सत्र 2022-23 में टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के शिक्षकों लिए टेबलेट क्रय का प्रावधान किया गया है। जिले में कार्यरत सभी पात्र शिक्षकों टेबलेट क्रय करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों के द्वारा 28-02-2023 तक टेबलेट क्रय कर प्रतिपूर्ति के लिए मोड्यूल में प्रस्ताव नही किये करने की दशा में संबंधित स्वयं उत्तरदायी होंगे। टेबलेट के क्रय उपरांत उसक भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-

1. शिक्षक द्वारा क्रय किये गये टेबलेट की प्रतिपूर्ति का विकल्प एक से अधिक बार शिक्षक द्वारा संशोधित कर सकता है, किन्तु एक बार विकासखंड स्तर पर कार्यवाही उपरांत टेबलेट की प्रतिपूर्ति का विकल्प में सुधार नही हो सकेगा।
2. विकासखंड स्तर पर समिति द्वारा क्रय किये गये टेबलेट की प्रतिपूर्ति को अमान्य करने की स्थिति में शिक्षक अधिकतम 2 बार टेबलेट की प्रतिपूर्ति का विकल्प पुनः भर सकता है।
3. शिक्षक द्वारा क्रय किये गये टेबलेट के माध्यम से ही प्रतिपूर्ति का आवेदन किया जायेगा। शिक्षक द्वारा क्रय किये गया टेबलेट मापदंडों के अनुसार नही होने की स्थिति में क्रय की राशी की प्रतिपूर्ति की पात्रता नही होगी।
4. विकासखंड स्त्रोत समन्वयक, विकासखंड एम.आई.एस. कोऑर्डिनेटर एवं विकासखंड ई-गवर्नेस प्रबंधक की समिति द्वारा शिक्षक के द्वारा क्रय किये गये टेबलेट के भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन उपरांत मोड्यूल के माध्यम शिक्षकों को सीधे भुगतान की अनुशंसा की जावेगी।
5. विकासखंड की समिति प्रतिपूर्ति की अनुशंसा का प्रारूप टेबलेट प्रतिपूर्ति मोबाइल एप्प से डाउनलोड कर सकते है।
6. उक्त समिति के तीनों सदस्य अनुशंसा अंकित करेंगे तथा अनुशंसा पर हस्ताक्षर कर के टेबलेट प्रतिपूर्ति मोबाइल एप्प पर अपलोड करना है।

7. समिति द्वारा टेबलेट की प्रतिपूर्ति की अनुशंसा अमान्य होने की स्थिति में शिक्षक को मेसेज भेज कर सूचित किया जावेगा तथा इसके बाद भी शिक्षक को अधिकतम 2 बार टेबलेट की प्रतिपूर्ति का विकल्प भरने की सुविधा रहेगी।
8. शिक्षक द्वारा क्रय टेबलेट मापदंडों के अनुसार होने की स्थिति में टेबलेट देयक के अनुसार वास्तविक राशी अथवा अधिकतम राशी रुपये **10,000/-** जो भी न्यूनतम हो उसका भुगतान शिक्षक के वेतन वाले खाते में किया जावेगा।
9. विकासखंड स्तर पर टेबलेट सत्यापन हेतु यूजर मेनुअल संलग्न है। विकासखंड स्तर से अभी तक शिक्षकों द्वारा क्रय किये गये टेबलेट का सत्यापन दिनांक **28-02-2023** तक पूर्ण किया जावे।

कृपया दिनांक 28-02-2023 तक टेबलेट के भौतिक सत्यापन पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

21/02/2023

(धनराजू एस.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र,
म.प्र.

पृ. क्र./राशिके/आई.सी.टी./2022-23/ 1165 भोपाल, दिनांक 24/02/2023

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
4. जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

21/02/2023

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र,
म.प्र.

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/आई.सी.टी./2022-23/ 1356 भोपाल, दिनांक 09-03-2023

प्रति,

कलेक्टर
जिला - समस्त जिले
म.प्र.

विषय: टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा क्रय टेवलेट के सत्यापन विषयक।

सन्दर्भ: 1) राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्र./राशिके/आईसीटी/2022/1164, भोपाल दिनांक 24-02-2023
2) राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्र./राशिके/आईसीटी/2022/46, भोपाल दिनांक 04-01-2023
3) राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र क्र./राशिके/आईसीटी/2022/6554, भोपाल दिनांक 23-11-2022

MIS 10/3/23

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहे, समग्र शिक्षा अभियान में भारत सरकार द्वारा सत्र 2022-23 में टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के शिक्षकों लिए टेबलेट क्रय का प्रावधान किया गया है। जिले में कार्यरत सभी पात्र शिक्षकों अनिवार्यरूप से दिनांक 15-03-2023 तक टेवलेट क्रय कर प्रतिपूर्ति के लिए मोडूयल में प्रस्ताव किये जाने का निर्देश दिया गया है।

1. राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्र./राशिके/आईसीटी/2022/1164, भोपाल दिनांक 24-02-2023 में कंडिका 4 के अनुसार शिक्षक के द्वारा क्रय किये गये टेवलेट की प्रतिपूर्ति की अनुशंसा विकासखंड स्रोत समन्वयक, विकासखंड एम.आई.एस. कोऑर्डिनेटर एवं विकासखंड ई-गवर्नेंस प्रबंधक की 3 सदस्यों की समिति द्वारा किये जाने के निर्देश है। यदि किसी विकासखंड में एम.आई.एस. कोऑर्डिनेटर अथवा विकासखंड ई-गवर्नेंस प्रबंधक पदस्थ नही है, तो ऐसी स्थिति में विकासखंड स्तर पर समिति की कोई भी 2 सदस्य द्वारा क्रय किये गये टेबलेट की प्रतिपूर्ति का वेरिफिकेशन/ सत्यापन किया जा सकता है।
2. जिले दिनांक 11-03-2023 और 12-03-2023 विकासखंड स्तर पर कैम्प लगा कर शिक्षक के द्वारा क्रय किये गये टेबलेट की प्रतिपूर्ति का वेरिफिकेशन/ सत्यापन पूर्ण करें।

कृपया दिनांक 15-03-2023 तक टेबलेट के भौतिक सत्यापन पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(धनराजू एस.) 09/03/2023
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र,
म.प्र.

Scanned with OKEN Scanner